(3)

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/150/2014-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
**

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 6|3|2014

सेवा में

श्री बाबर खान,
निवासी मकान नं.-443, सुंदर नगरी,
शाहदरा,
दिल्ली-110093

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक रहित आवेदन।

***

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 12.2.2014 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपकी दिनांक 02.04.2012 तथा 03.10.2013 की शिकायतों को इस मंत्रालय के क्रमश: दिनांक 2 मई, 2012 के पत्र सं. 14036/10/2012-यू टी पी तथा दिनांक 11.11.2013 के पत्र सं. 14036/1/2013-यू टी पी के तहत उचित कार्रवाई हेतु दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दिया गया था। आपके आर टी आई आवेदन को भी इस मंत्रालय के दिनांक 18.04.2013 के पत्र सं. 14036/284/2013-यू टी पी के तहत दिल्ली पुलिस को अंतरित कर दिया गया था। जहां तक आपकी दिनांक 5.01.2013 की शिकायत का संबंध है, यह शिकायत इस अनुभाग में प्राप्त नहीं हुई थी।

3. उपर्युक्त के मद्देनज़र, आपके प्रश्नगत आर टी आई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

4. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,
चित्रा नारायण
O/C
(चित्रा नरायण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी)

प्रति, प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इसके साथ इस अनुरोध सहित संलग्न की जा रही है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को मुहैया करवाई जाए।

Issued vide no. 295/304
6/3